उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

पिकप भवन, तृतीय तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर

लखनऊ – 226010

वेबसाइट- upsssc.gov.in ई-मेल : online.upsssc@nic.in

विज्ञापन संख्या-23-परीक्षा/2026

क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/23

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	**30-09-2026**
पंजीकरण/ऑनलाइन आवेदन/शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि	**16-10-2026**
पंजीकरण/शुल्क जमा करने/ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि	**06-11-2026**
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि	**13-11-2026**

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 06-11-2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 06-11-2026 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 13-11-2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के **विज्ञापन संख्या-23-परीक्षा/2026, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/23** के अंतर्गत **युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय, उ0प्र0** के नियंत्रणाधीन **क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी** के **368** पदों एवं **व्यायाम प्रशिक्षक** के **44** पदों, कुल रिक्त (**368+44**) **412 पदों** पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

विज्ञापन संख्या-23-परीक्षा/2026, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/23 *हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test- PET-2025) में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके* ***प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 (Preliminary Eligibility Test-PET 2025)*** *के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शार्टलिस्ट किए गये अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज़्ड स्कोर में शून्य या उससे कम/नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।*

परन्तु यह कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) चिन्हित किए गये अभ्यर्थियों के प्रकरणों के सम्बन्ध में जब तक आयोग स्तर से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती

है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1-ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना– इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत: अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2-ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया- अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के **Homepage** पर **Live Advertisement Segment** के अंतर्गत **सम्बन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर** उक्त विज्ञापन को **Download/View** कर सकते हैं। **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं।** आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली-भांति समझ लें।

2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित/ निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

2.2 अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (06-11-2026) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/Possess) करना अनिवार्य है।

2.3 आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 06-11-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.15 का अवलोकन करें)।

2.5 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के समय पदों की वरीयता का विकल्प देना होगा। आयोग अभ्यर्थियों द्वारा दी गयी वरीयता के आधार (पद की उपलब्धता, श्रेष्ठता, पद की शैक्षिक अर्हता व आयु सीमा का संज्ञान लेते हुए) पर यथा संभव पदों आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

2.6 विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.7- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन करना होगा।

2.8 आवेदन(Application)-

I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक प्रस्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पद/ पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/पदों को चयनित (Select) करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जिन पद/पदों को चयनित (Select) नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।

नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद/पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद / पदों को Select करते हुए आवेदन करें।

III. अभ्यर्थी को चयनित (Select) पद/ पदों हेतु शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं०, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

IV. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात **"अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र"** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको की पंजीकरण संख्या सहित अन्य विवरण अंकित होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.9 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-

इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर **View** करने के उपरान्त **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.10 अन्य विवरण (Other Details)

इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के सम्बन्ध में Yes/No विकल्प को चयनित करना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

2.11 घोषणा (Declaration)-

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि वह घोषणा-पत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत

हो तो सभी बिन्दुओं को सेलेक्ट (Checkbox को Tick) करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save and Submit** बटन को क्लिक करते हुये शुल्क भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

नोट:- अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में भरी गयी समस्त प्रविष्टियों का भली-भांति पुन: परीक्षण कर सही पाये जाने के उपरांत ही आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें।

2.12- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I. अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card/ Internet Banking/ UPI या SBI के ई-चालान** के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये कर सकते हैं। **किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है।** शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वत: सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

II. कृपया ध्यान दें कि यदि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन-पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी के आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क का समायोजन नहीं हो सका है। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर जाकर लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करने के उपरान्त शुल्क समायोजित करते हुये अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

III. शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन-पत्र के स्थान पर **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए विकल्प **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। **तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।** शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होते ही अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वत: सबमिट हो जायेगा एवं स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने इस आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट अवश्य कर लें।

IV. यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान आवेदन करते समय नहीं कर पा रहे हैं तो वे शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए विकल्प "Update Your Transaction ID by Double Verification" पर जाकर सम्बन्धित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए लॉगिन एवं **Verify Transaction ID** बटन को क्लिक करेंगे। **तदुपरान्त आयोग की वेबसाइट के Homepage पर Applicant Segment के अंतर्गत दिये गए Application Fee Deposition विकल्प पर जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।**

V. ई–चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

VI. अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क का समायोजन एवं आवेदन-पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। **शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही अभ्यर्थी का फार्म अंतिम रूप से सबमिट हो सकेगा एवं तदुपरांत अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं।**

VII.अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VIII.अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नम्बर के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन/आवेदन शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID by Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

IX. कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही उनका आवेदन अन्तिम रूप से स्वत: सबमिट हो सकेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित है कि शुल्क के सफल भुगतान/समायोजन के उपरान्त अपने आवेदन-पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर आवेदन-पत्र की समस्त प्रविष्टियों का परीक्षण अवश्य कर लें, तत्पश्चायत ही अपने आवेदन-पत्र को अंतिम रूप में सबमिट करें।

X.आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है।

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।**

2.13- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)-

शुल्क का सफल भुगतान/समायोजन होने के उपरान्त अभ्यर्थी का आवेदन स्वत: सबमिट हो जायेगा। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क का भुगतान करने के उपरांत अपना **आवेदन-पत्र डाउनलोड व प्रिन्ट अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय आवेदन-पत्र की प्रति आयोग द्वारा अपेक्षा किए जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।** अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपने आवेदन का स्टेटस प्राप्त कर सकता है व अपना आवेदन-पत्र प्रिंट भी कर सकता है।

3- आवेदन-पत्र में संशोधन

I. **अभ्यर्थी का आवेदन अंतिम रूप से सबमिट होने के उपरान्त ही वे अपने आवेदन-पत्र में संशोधन कर सकते हैं।** आवेदन-पत्र में संशोधन हेतु अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होमपेज पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक **OTP (One Time Password)** जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा **OTP (One Time Password)** के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत अपने आवदेन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

a. पत्राचार का पता।

b. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, दिव्यांग/P.H., Ex. Service Men, लिंग (Gender), उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।

c. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

d. वैवाहिक प्रस्थिति।

विशेष नोट:- ***उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024 , शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।***

III. आवेदन-पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 13-11-2026 तक ही किया जा सकता है। आवेदन में संशोधन हेतु अभ्यर्थी पूर्णत: स्वयं उत्तरदायी होगें अत: आवेदन पत्र को संशोधित करते समय अभ्यर्थी समस्त अंकित प्रविष्टियों को भली-भांति जाँच करने के उपरांत ही आवेदन-पत्र को सबमिट करें तथा संशोधित आवेदन-पत्र का प्रिंट अवश्य प्राप्त कर ले। संशोधन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी दशा में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णत: सम्बन्धित अधियाचनकर्ता विभाग की है।

उत्तर प्रदेश के राज्याधीन सेवा में अनुमन्य ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं/मानक के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2/2025/2025/2005822/47-का-2-2025, दिनांक 30-12-2025 के क्रम में अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित अधियाचन/अधियाचनों में प्रस्तावित आरक्षण सम्बन्धी रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर पुष्टि की गई है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित नीति/ निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	लेवल/ वेतनमान/ वेतन बैण्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
1	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (विशेष चयन)	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	--	61	05	76	--	142	स्थायी
2	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	लेवल-5, वेतनमान (न्यूनतम): 29200, वेतनमान (अधिकतम): 92300	92	47	04	61	22	226	स्थायी
3	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	व्यायाम प्रशिक्षक (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	--	09	01	12	--	22	स्थायी व अस्थायी
4	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	व्यायाम प्रशिक्षक	लेवल-6, वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400	09	05	00	06	02	22	स्थायी व अस्थायी

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण											
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
1	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (विशेष चयन)	02	--	--	--	--	--	07	28	02
2	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी	04	--	--	--	--	--	11	45	04
3	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	व्यायाम प्रशिक्षक (विशेष चयन)	00	--	00 (H.H.)	--	--	--	01	04	00
4	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	व्यायाम प्रशिक्षक	00	--	00 (H.H.)	--	--	--	01	04	00

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- H.H. (एच0एच0)-Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)

UPSSSC

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों एवं उ० प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

5.4- उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021 /324/2021/65-3-2021-78/99टी0सी0, दिनांक 30-07-2021, शासनादेश संख्या-02/2022/I/ 246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022, शासनादेश संख्या-3/2024/756713/2024/65-3-2024/65-3099/58/2022, दिनांक 30-09-2024, शासनादेश संख्या-2/2025/आई0/970754/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 23-05-2025, शासनादेश संख्या-3/2025/आई/1038022/2025/65-3099/58/2022, दिनांक 25-07-2025 एवं *शासनादेश संख्या-1/2026/I/1314725/2026/65-3099/58/2022, दिनांक 30-04-2026* तथा कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18-04-2022 एवं सुसंगत अधिनियम/नियमावली एवं अद्यतन शासनादेशों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है। **उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानानुसार **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson)** हेतु आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हता-

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) एवं अधिमानी अर्हताएं
1	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय, उ0प्र0	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी (विशेष चयन/ सामान्य चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-4 नियम-8(2) के अनुसार सेवा में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हता रखता हो- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न **(संलग्नक-1)** है।) **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- **(एक)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी0पी0एड0/डी0पी0एड0। **(दो)** संगठन में ब्लाक कमाण्डर या हलका सरदार या दलपति के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **(तीन)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(चार)** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
2	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय, उ0प्र0	व्यायाम प्रशिक्षक (विशेष चयन/ सामान्य चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-4 नियम-8(1) के अनुसार सेवा में व्यायाम प्रशिक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो- **(1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (स्नातक समकक्ष अर्हता के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक- 19-07-2023 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न **(संलग्नक-1)** है।) **(2)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से डी0पी0एड0/बी0पी0एड0 अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। (उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत पत्र संख्या- 190/सत्तर-1-2023-16(1)/2023, दिनांक- 02-02-2024 अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न **(संलग्नक-2)** है, जिसके अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता डी0पी0एड0/बी0पी0एड0 के समकक्ष अर्हता बी0पी0ई0 अथवा स्नातक इन शारीरिक शिक्षा है।) **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-4 नियम-8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा- **(एक)** नेता जी सुभाष नेशनल स्पोर्ट्स इन्स्टीट्यूट, पटियाला, बैंगलोर, कलकत्ता, लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल ऐज्युकेशन इन्स्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम, ग्वालियर और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित एन0आई0एस0 के समकक्ष सभी ऐसे संस्थान से सुसंगत शाखा में प्रशिक्षण (कोचिंग) में डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम0पी0एड0। **(दो)** जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(तीन)** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

UPSSSC

7- आयु –

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु की गणना की निर्णायक तिथि/ आयु की उच्च सीमा व निम्न सीमा में शिथिलता (यदि है)
1	युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उ0प्र0	क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक (विशेष चयन/ सामान्य चयन)	उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जायें, की पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत शासनादेश संख्या- 03/2023/312/47-का-2-312/एलसी/2022, दिनांक-19-07-2023 **(संलग्नक-1)** एवं उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत पर संख्या-190/सत्तर-1-2023-16(1)/2023, दिनांक-02-02-2024 **(संलग्नक-2)** के अनुसार किया जाएगा, जिसके अनुसार **चयन का आधार लिखित परीक्षा** है। लिखित परीक्षा हेतु शासन के पत्र संख्या-722/47-का-3-2025, दिनांक-25-11-2025 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रस्तर-9 में उल्लिखित है। परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

शारीरिक माप परीक्षण - उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-4 नियम-13(2) के अनुसार **क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक** के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता के मापदण्ड की अपेक्षा की जायेगी:

(क) पुरूष अभ्यर्थी

(1)

ऊँचाई		**सेमी0 में (न्यूनतम)**
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160 सेमी0
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	167.7 सेमी0

(2)

	सीना	बिना फुलाये (सेमी0 में)	फुलाने पर (सेमी0 में)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	76.5 सेमी0	81.3 सेमी0
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	78.8 सेमी0	83.8 सेमी0

(ख) **महिला अभ्यर्थी**

(3)

	ऊँचाई	सेमी0 में (न्यूनतम)
(क)	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	147 सेमी0
(ख)	अन्य अभ्यर्थियों के लिए	152 सेमी0

शारीरिक पात्रता परीक्षा (क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी) - उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-5 नियम-15(2) के अनुसार **क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी** पद के लिए अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की निम्नलिखित शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास करने की अपेक्षा की जायेगी।

(क) **पुरूष अभ्यर्थियों के लिए**

क्रम संख्या	मद का नाम	न्यूनतम मानक समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	200 मीटर दौड़	30 सेकेण्ड	10	10
		28 सेकेण्ड	15	
		26 सेकेण्ड	20	
		24 सेकेण्ड	25	
2	लम्बी कूद	3.50 मीटर	10	10
		4.00 मीटर	15	
		4.50 मीटर	20	
		5.00 मीटर	25	
3	ऊँची कूद	1.05 मीटर	10	10
		1.20 मीटर	15	
		1.35 मीटर	20	
		1.50 मीटर	25	
4	गोला फेंक	6.00 मीटर	10	10
		7.00 मीटर	15	
		8.00 मीटर	20	
		9.00 मीटर	25	

(ख) **महिला अभ्यर्थियों के लिए**

क्रम संख्या	मद का नाम	न्यूनतम मानक समय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	200 मीटर दौड़	34 सेकेण्ड	10	10
		32 सेकेण्ड	15	
		30 सेकेण्ड	20	
		28 सेकेण्ड	25	

2	लम्बी कूद	3.00 मीटर	10	10
		3.50 मीटर	15	
		4.00 मीटर	20	
		4.50 मीटर	25	
3	क्रिकेट बाल थ्रो	12 मीटर	10	10
		13 मीटर	15	
		13.50 मीटर	20	
		14 मीटर	25	
4	स्कीपिंग रोप (रस्सी कूदना) प्रति मिनट	55 बार	10	10
		60 बार	15	
		65 बार	20	
		70 बार	25	

टिप्पणी- उपर्युक्त समस्त चार मदों में न्यूनतम 45 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सफल माने जायेंगे और यदि कोई अभ्यर्थी केवल तीन मदों में उपस्थित होता है और 45 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वह भी सफल माना जायेगा/जायेगी।

नोटः- उक्त शारीरिक माप परीक्षण (न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता के मापदण्ड) एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति के हैं तथा चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों हेतु उक्त परीक्षण/परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

शारीरिक पात्रता परीक्षा (व्यायाम प्रशिक्षक)- उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 के भाग-5 नियम-15(1) के अनुसार **व्यायाम प्रशिक्षक** पद के लिए अभ्यर्थी से अर्हकारी प्रकृति की निम्नलिखित शारीरिक पात्रता परीक्षा भी पास करने की अपेक्षा की जायेगी।

पुरूष अभ्यर्थियों के लिए

(क) भारतीय व्यायाम

क्रम संख्या	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	मलखम्ब	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त तीन मदों में न्यूनतम 50 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	आसन	25 अंक	
3	मुगदर	25 अंक	

(ख) जिम्नास्टिक

क्रम संख्या	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	पैरेलल-बार	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त पांच मदों में न्यूनतम 75 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	होरिजेन्टल बार	25 अंक	
3	वाल्टिंग हार्स	25 अंक	
4	पामेल्ड हार्स	25 अंक	
5	फ्लोर एक्सरसाईज	25 अंक	

महिला अभ्यर्थियों के लिए

(क) भारतीय व्यायाम

क्रम संख्या	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	मलखम्ब रोप	25 अंक	अभ्यर्थी को समस्त तीन मदों में न्यूनतम 40 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	आसन	25 अंक	
3	स्कीपिंग रोप	25 अंक	

(ख) जिम्नास्टिक

क्रम संख्या	मद का नाम	अधिकतम अंक	न्यूनतम अपेक्षित अंक
1	पैरेलल-बार	35 अंक	अभ्यर्थी को समस्त चार मदों में न्यूनतम 65 अंक अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
2	वाल्टिंग हार्स	30 अंक	
3	बैलेन्सिंग बीम	30 अंक	
4	अनीवन बार्स	30 अंक	

नोटः- उक्त शारीरिक माप परीक्षण (न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता के मापदण्ड) एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति के हैं तथा चयन का आधार लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों हेतु उक्त परीक्षण/परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

9- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समय अवधि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार

होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	05	05	दो घण्टा (120 मिनट)
	2) भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान	10	10	
	3) भारत एवं विश्व का भूगोल	05	05	
	4) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास	05	05	
	5) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी	05	05	
	6) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ	05	05	
	7) भारत में खेल	05	05	
	8) मानव शरीर रचना विज्ञान	05	05	
	9) पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबन्धन	10	10	
	10) डाटा इंटरप्रिटेशन	10	10	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

पाठ्यक्रम

भाग-1

(1) भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन

भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक पक्षों की जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन- स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरख जानकारी।

(2) भारतीय राजव्यवस्था एवं भारतीय संविधान

भारत में संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, पंचायतीराज एवं स्थानीय स्वशासन, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान।

(3) भारत एवं विश्व का भूगोल

भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, कृषि, बागवानी, वानिकी एवं पशुपालन, जनसंख्या एवं नगरीकरण का प्रारूप, स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज से सम्बन्धित जानकारी। विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी।

(4) भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास

भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य एवं उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका, सतत विकास के लक्ष्य (Sustainable Development Goals)। सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली। भारत में कृषि, उद्योग एवं व्यापार वाणिज्य का विकास। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक विकास पर प्रभाव। आधारभूत संरचना : ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमान पत्तन तथा रेलवे आदि।

(5) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी

सड़क सुरक्षा की अवधारणा, सड़कों के प्रकार, उन पर निर्धारित गति सीमा तथा गति के उल्लंघन का प्रभाव, सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में सड़क निर्माण एजेन्सी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग के कार्य एवं दायित्व। विभिन्न प्रकार के लेन ड्राइविंग/यातायात संकेतकों एवं ट्रैफिक सिग्नल की सामान्य जानकारी एवं उनका प्रभाव। माल वाहनों में ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम एवं सामाजिक पक्ष। सड़क दुर्घटना को कम करने के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले विशेष उपाय एवं नवीन मोटर यान अधिनियम, 2019 में उल्लिखित व्यवस्थायें, सड़क दुर्घटना होने के फलस्वरूप जान-माल की क्षति को कम किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय, सड़क दुर्घटना होने पर चालक एवं सामान्य नागरिक के कर्तव्य। गुड सैमेरिटन की अवधारणा एवं उनके अधिकार। सड़क दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अधिकार एवं प्रभाव।

(6) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल के घटनाक्रमों का ज्ञान।

(7) भारत में खेल

खेल यथा- एथलेटिक्स, जूडो, कबड्डी, वालीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, भारोत्तोलन, फुटबॉल, तैराकी, खो-खो आदि से सम्बन्धित नियमों एवं अन्य सामान्य जानकारियां। भारत में खेलों को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयास तथा उपलब्धियाँ।

(8) मानव शरीर रचना विज्ञान

कोशिकाएँ, ऊतक, अंग एवं अंग प्रणालियाँ, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, तंत्रिकाएँ और रक्त वाहिकाएँ का प्राथमिक ज्ञान। स्वाद, गंध, श्रवण, देखने और महसूस करने (स्पर्श करने) के अंगों की संरचना और कार्यों का प्रारंभिक ज्ञान।

(9) पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबन्धन

पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तन्त्र, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरणीय संघात आकलन तथा जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।

भारत में आपदा, गैर-पारम्परिक सुरक्षा एवं संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धन। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) एवं राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाएं। विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयास एवं उपलब्धियां।

(10) डाटा इंटरप्रिटेशन

डाटा इंटरप्रिटेशन- आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण। सांख्यिकीय विश्लेषण- ग्राफ और डायग्राम जिनसे अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय व ग्राफिकीय डायग्राम सम्बन्धी प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान सम्बन्धी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके।

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
 - हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
 - इनपुट एवं आउटपुट।
 - इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आई0पी0 एड्रेस।
 - आई0टी0 गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
 - ई-मेल आई0डी0 को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
 - प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
 - वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं ऐक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व।
 - ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि।

Examination Plan and Syllabus of Main Examination (Written Examination) for selection to the vacant posts of direct recruitment of Kshetriya Yuva Kalyan Evam Pradeshik Vikas Dal Adhikari and Vyayam Prashikshak

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer, which will be 25 percent i.e. ¼ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subjects, number of questions, total marks and time period will

be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	1) History of India and Indian National Movement	05	05	Two Hours (120 Minutes)
	2) Indian Polity and Indian Constitution	10	10	
	3) Geography of India and World	05	05	
	4) Indian Economy and Social Development	05	05	
	5) Knowledge related to road safety	05	05	
	6) Current Events of National and International Importance	05	05	
	7) Sports in India	05	05	
	8) Human Anatomy	05	05	
	9) Environmental Ecology and Disaster Management	10	10	
	10) Data Interpretation	10	10	
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part-3	General information related to the State of Uttar Pradesh	20	20	
Total		100	100	

SYLLABUS

Part-1

(1) History of India and Indian National Movement

Information on the social, cultural, economic and political aspects of Indian history. The Indian National Movement- A comprehensive information of the freedom movement, the rise of nationalism and the attainment of independence.

(2) Indian Polity and Indian Constitution

Knowledge of political system including constitutional development in India, Indian Constitution, Indian political system and governance, Panchayati Raj and local self-governance, public policy and official issues and community development.

(3) Geography of India and World

Information on the country's physical, social and economic geography, agriculture,

horticulture, forestry, animal husbandry, population and urbanization patterns, smart cities and smart villages under the geography of India. General information about the world geography.

(4) Indian Economy and Social Development

Economic planning in India, objectives and achievements, role of NITI Aayog, Sustainable Development Goals (SDGs). Components of government budget and financial system. Development of agriculture, industry and trade commerce in India. Land reforms in India after independence. Effects of globalization and liberalization in India, changes in industrial policy and their impact on industrial development. Infrastructure: Energy, ports, roads, airports and railways etc.

(5) Knowledge related to road safety

Concept of road safety, types of roads, speed limits prescribed on them and the impact of speed violations, functions and responsibilities of road construction agency, education department, medical department in relation to road safety. General knowledge of various types of lane driving/traffic indicators and traffic signals and their effects. Side effects and social implications of overloading goods vehicles. Special provisions taken by the Central and State governments to reduce road accidents and the provisions outlined in the new Motor Vehicles Act, 2019, measures to be taken in relation to reducing loss of life and property as a result of road accidents, duties of driver and ordinary citizens in case of road accident. Concept of a Good Samaritan and their rights. The powers and impact of the Supreme Court's Committee on Road Safety on road accidents.

(6) Current Events of National and International Importance

Knowledge of recent events at both national and international levels.

(7) Sports in India

Rules and other general information related to sports such as athletics, judo, kabaddi, volleyball, badminton, wrestling, weightlifting, football, swimming, kho-kho etc. Efforts and achievements being made to promote sports in India.

(8) Human Anatomy

Elementary knowledge of cells, tissues, organs and organ systems, bones, muscles, nerves and blood vessels. Elementary knowledge of the structure and functions of the organs of taste, smell, hearing, sight, vision, and feeling (touch).

(9) Environmental Ecology and Disaster Management

General information on general issues related to environmental protection and ecosystems, wildlife conservation, biodiversity, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment, and climate change. Disaster mitigation and disaster management in India as a non-traditional security and safety challenge. Disaster Management Act-2005, National Disaster Management Authority (NDMA), State Disaster Management Authority (SDMA), National Disaster Response Force (NDRF) and State Disaster Response Force (SDRF), and various agencies working in the field of disaster

management in India. Efforts and achievements being made in the field of disaster mitigation and disaster management at the global level.

(10) Data Interpretation

Data Interpretation - Interpretation and analysis of data. Statistical Analysis - Graphs and Diagrams to test the candidate's ability to draw general knowledge conclusions from information presented in statistical and graphical diagrams.

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
 - Hardware and Software.
 - Input and Output.
 - Internet Protocol/IP Address.
 - IT gadgets and their applications.
 - Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
 - Operation of Printer, Tablet and Mobile.
 - Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
 - Operating System, Social Networking, e-Governance.
- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.
- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General information related to The State of Uttar Pradesh)

History of Uttar Pradesh, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dances, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forests, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration, Current Events and achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc.

नोट- मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के अंकों के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया के अगले चरण में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक के पद पर चयन हेतु उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2017 में विहित शारीरिक माप परीक्षण (न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता के मापदण्ड) एवं शारीरिक पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-23-परीक्षा/2026, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/23 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02-एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 06-11-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्नगत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदो को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।

11.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.13- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 06-11-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट **https://upsssc.gov.in** के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

11.26- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा | उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

11.29- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला कोई भी पत्राचार/प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

30.9.26

सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

लखनऊ।

संलग्नक-1

संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 19 जुलाई, 2023

विषयः- **भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में।**

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से रिट याचिका संख्या 656/2020(रिट-ए) श्री विकास एवं 80 अन्य बनाम उ0प्र0 राजय में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के ओदश दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता के संदर्भ में निम्नवत आदेश निर्गत किये गये है:-

"जहॉ कहीं भी भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता का उल्लेख हो वहॉ चयन प्रक्रिया प्रारम्भ पूर्व ही समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त ही चयन हेतु अधियाचन चयनकर्ता अधिकरणों को प्रेषित किया जाए। चयनकर्ता अधिकरणों यथा-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ तथा विभिन्न बोर्ड आदि भी पद विज्ञापित करने से पूर्व समकक्ष अर्हता का निर्धारण कराते हुए विज्ञापन में उसका स्पष्ट उल्लेख सुनिश्चित करें।"

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों के दृष्टिगत कतिपय विभागों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नियमावली में विहित समकक्ष अर्हता के आधार पर प्रेषित अधियाचनों को लोक सेवा आयोग द्वारा समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने के अनुरोध के साथ वापस कर दिया जा रहा है। इसे रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ करने में विलम्ब हो रहा है।

3- उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये है:-

(1)- ऐसे प्रकरणों में जहॉ तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहॉ विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोडकर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की गई है, उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविधालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियॉ स्नातक के रूप में मान्य होगी।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठयक्रमों में प्रदान की गई स्नातक-स्तर की उपाधियॉ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किए जायेंगे।

(3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/ अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

4- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष** निर्धारित किये जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या– 190 /सत्तर–1–2023–16(1)/2023
लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2024

1. अपर मुख्य सचिव,
वित्त (संस्थागत) अनुभाग–35/
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग–2.
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग–1.
उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव,
युवा कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–5
उत्तर प्रदेश शासन।

अवगत कराना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा भिन्न–भिन्न पदों पर चयन के सम्बन्ध में उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रेषित किए गए अधियाचनों के सापेक्ष प्रकाशित विज्ञापन में शैक्षिक अर्हता के संबंध में स्पष्टता अपेक्षित है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समकक्ष कौन–कौन सी मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हताएं हैं, स्पष्ट नहीं है। उक्त आयोगों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में किसी पद विशेष पर चयन के लिए विशिष्ट विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित किए जाने का उल्लेख रहता है, किन्तु समकक्ष अर्हता क्या है, यह स्पष्ट नहीं होता है। विभिन्न विभागों द्वारा समकक्ष उपाधियों एवं विभिन्न विषयों के समकक्ष अर्हताओं के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है।

2– उल्लेखनीय है कि शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 19–07–2016 तथा शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण/विचार–विमर्श कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–391/सत्तर–1–2023, दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा प्रो0 आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

3– कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एल./1437, दिनांक 20–01–2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों का परीक्षण/विचार–विमर्श कर यह संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नवत् है:–

1. सहायक निदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु वाणिज्य स्नातक अथवा बी0सी0ए0 या आई0सी0डब्लू0ए0 या सी0ए0आई0 या सी0ए0

2. निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अहता हतु स्नातक (भौतिकी)/B.Sc.(Engg.) बी0टेक0/बी0ई0, 04 वर्षीय यू0जी0 प्रोग्राम (in view of NEP-2020) with Physics as major Subject)

3. कुलसचिव की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु स्नातकोत्तर अथवा सी0ए0/सी0एस0/आई0सी0डब्लू0ए0/राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुसार 04 वर्षीय स्नातक के साथ 01 वर्षीय परास्नातक

4. अर्थ एवं संख्या अधिकारी/शोध अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी)/सहायक सांख्यिकी अधिकारी की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु स्नातकोत्तर, गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या अर्थशास्त्र या वाणिज्य या व्यावहारिक अर्थशास्त्र या अप्लाइड गणित या अप्लाइड सांख्यिकी

5. औषधि निरीक्षक की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु बी0फार्मा0 या बैचलर इन फार्मास्युटिकल साइंसेज या बैचलर इन मेडिसिन विद इस्पेलाइजेशन इन क्लीनिकल फार्माकॉलोजी या माइक्रोलॉजी या फार्म डी

6. क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रदेशिक विकास दल अधिकारी तथा व्यायाम प्रशिक्षक की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु स्नातक तथा D.P.Ed. अथवा B.P.Ed अथवा B.P.E. अथवा स्नातक इन शारीरिक शिक्षा

7. समीक्षा अधिकारी (लेखा)/सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) की सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सी0ए0 या आई0सी0डब्लू0ए0

4– अतः अनुरोध है कि समिति द्वारा दिये गये उक्त परामर्श के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नकः यथोपरि।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

परिशिष्ट-1

प्रारूप-II

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्राम.....तहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य कीजाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) /संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्रामतहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान
दिनॉक
मुहर

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त
जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य
वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट-2

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी.....ग्रामतहसील.....
.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान

दिनॉक

मुहर

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पदनाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त

जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/ 2019/ 4/ V 2002/ एक-2/ 18डी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी

पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का कलर्ड पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

परिशिष्ट-4

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी

ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस

थाना ब्लाक तहसील

जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-5

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती----------निवासी ग्राम--------
----------तहसील----------नगर----------
जिला----------"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) ----------पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
--के आश्रित हैं।

स्थान-
दिनांक-

हस्ताक्षर----------
पूरा नाम----------
पदनाम----------

मुहर----------

जिलाधिकारी (सील)

परिशिष्ट-6

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

FORM- 1

Application for Obtaining Certificate of Disability by Persons with Disabilities

(1) Name : _____ _____ _____

(Surname) (First Name) (Middle Name)

(2) Father's Name : _____ Mother's Name: _____

(3) Date of Birth : _____/_____/_____

(Date) (Month) (Year)

(4) Age at the time of application : _____ years

(5) Sex: Male/Female/Transgender_____

(6) Address:

(a) Permanent address (b) Current Address (i.e. for communication)

_____ _____

_____ _____

(c) Period since when residing at current address _____

(7) Educational Status (please tick as applicable)

(i) Post Graduate
(ii) Graduate
(iii) Diploma
(iv) Higher Secondary
(v) High School
(vi) Middle
(vii) Primary
(viii) Non-literate

(8) Occupation _____

(9) Identification marks (i) _____ (ii) _____

(10) Nature of disability :

(11) Period since when disabled: From Birth//since year _____

(12) (i) Did you ever apply for issue of a certificate of disability in the past ___ yes/no

(ii) If yes, details:

(a) Authority to whom and district in which applied _____

(b) Result of application

(13) Have you ever been issued a certificate of disability in the past? If yes, please enclose a true copy.

Declaration: I hereby declare that all particulars stated above are true to the best of my knowledge and belief, and no material information has been concealed or misstated. I further state that if any inaccuracy is detected in the application, I shall be liable to forfeiture of any benefits derived and other action as per law.

(signature or left thumb impression of person with disability, or of his/her legal guardian in case of persons with intellectual disability, autism, cerebral palsy and multiple disabilities, etc)

Date :
Place:

Enclosures:

1. Proof of residence (Please tick as applicable).
 (a) ration card,
 (b) voter identity card,
 (c) driving license,
 (d) bank passbook,
 (e) PAN card,
 (f) passport,
 (g) telephone, electricity, water and any other utility bill indicating the address of the applicant,
 (h) a certificate of residence issued by a Panchayat, municipality, cantonment board, any gazetted officer, or the concerned Patwari or Head Master of a Government school,

(i) in case of an inmate of a residential institution for persons with disabilities, destitute, mentally ill, and other disability, a certificate of residence from head of such institution.

2. Two recent passport size photographs

(For office use only)

Date:
Place:

Signature of issuing authority
Stamp

परिशिष्ट-7

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate .

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. _____) (Dr. _____) (Dr. _____)

Member Member Chairperson

Medical Board with seal Medical Board with seal Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

परिशिष्ट-8

Form - III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -

In figures : - ---------- percent

In words :- ---------- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ----- ----- ------

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

परिशिष्ट-9

Form –IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum_____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY)_____ _____ Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ___ ___ ___

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued